रेलवे प्लेटफार्म पर कुली की दादागिरी

28 तारीख सुबह के साढे चार बजे महाबोधि ट्रेन जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची कि ट्रेन रूकने से पहले ही कुली बोगी के अंदर आ गया और बिना भाड़ा तय किये ही सामान लेकर नीचे उतरने लगा। मैं बोली पहले पैसे तय कर लो कि तुम कितने पैसे लोगे, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि ये बाद में झंझट करेगा पर उसने बिना बताये ही मेरे हाथ से एक बैग ले ही लिया। मेरे साथ मेरी बुजुर्ग सासु मां थी। मैं सामान तो खूद ले ली और एक यात्री से कही कि भाई आप मां को ट्रेन से नीचे उतारने में थोड़ी मदद कर दो। उन सज्जन ने मां को नीचे उतार दिया।

नीचे उतरने पर मैं कुली से ब्हील चेयर लाने को बोली उसने कहा कि व्हील चेयर अब नहीं मिलता। अपको बैट्री रिक्शा से स्टेशन के बाहर जाना होगा और इतने में वहां बैट्री रिक्शा आ कर रूक गया। मैं बैट्री रिक्शा वाले से पूछी कि कितने पैसे लोगे उसने बोला ढाई सौ रुपये मैं बोली ठीक है। मै मां को चढा कर सामान रखने लगी। बैट्री रिक्शा वाला ने कहा कि आप सामान नहीं रख सकते हो। मैं पूछी क्यों? इस पर उसने जवाब दिया कि इस पर सिर्फ आदमी ही जा सकता है तो मैं बोली कि ठीक है सामान मैं खूद ले जाऊंगी कोई भारी सामान नहीं है और कुली के तरफ़ देखकर बोली कि ब्हील चेयर ही ले आओ। कुली फ़िर वही बात कहा कि ब्हील चेयर नहीं मिलेगा मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं आपको सामान के पैसे अलग से देना होगा। मैं बोली कि मैं सामान के साथ बाहर जाऊंगी या मां के साथ? छोड़ दो में ब्हील चेयह की व्यवस्था कर लूंगी। वहीं पर एक पुलिस से ब्हील चेयर के बारे में कहने लगी कि इतने में वहां टैक्सी वाला आ गया और मेरा सामान लेकर बेट्री रिक्शा में रखने लगा। मैं बोली कि मुझे कुली और बैट्री रिक्शा दोनों नहीं करना है क्योंकि न सामान को छोड़ सकती न माताजी को छोड़ सकती हूं।

फिर टैक्सी वाला मेरा सामान लेकर बैट्री रिक्शा में रख दिया और कुली उससे 100 रुपये ले लिया। अब बैट्री रिक्शा वाला कहने लगा कि चलो आपलोग भी बैठ जाओ। स्टेशन से बाहर निकलने पर केवल 50 मीटर चलने के बैट्री रिक्शा वाला ने मेरे से 350 रुपये ले लिया तब मैं बोली कि भाई तुमने मेरे 100 रुपये ज्यादा लगवा दिया। पहले तो तुमने कहा कि 250 रुपये बाहर जाने का है और बाद में बोला कि सामान नहीं ले जाऊंगा। तो वो रोने जैसा मुंह बनाकर कहने लगा मैडमजी सच में मैं तो 250 रुपये ही लिया है आपके सामने ही 100 रुपये वो कुली मेरे से लिया है आप तो देखी ही हैं। मैं पूछ दी कि वो तुमने उसको कमीशन दिया है तो बोला जी मैम नहीं तो मेरी ये भी कमाई नहीं होगी।

इसके बाद मैं टैक्सी वाला से पूछी कि तुम्हे भी कुली को कमीशन देना है बोला जैसा सवारी रहेगा 10 परसेंट 100 रुपये मुझे भी देना है। मुझ से एक हजार रुपये फरीदाबाद के लिये कहने लगा। बाद में 800 रुपये लिया और उसमें से 100 रुपये कुली को टैक्सी वाले ने भी दिया।

मैं बोली कि तुम तो फ़रीदाबाद गाड़ी लेकर ले कर जाओगे तो तुम 800 रुपये लोगे उसमें से भी 100 रुपये कुली महाशय को दोगे और ये रिक्शा वाला स्टेशन से बाहर ले कर आया तो 250 रुपये इसने लिया। सबसे ज्यादा बिना मेहनत की कमाई तो कुली का हुआ कि तुम लोग से 200 रुपये ले लिया। इस पर उसने कहा कि मैडम जी अगर इसे मैं पैसे नहीं दूंगा तो एक भी सवारी नहीं लेने देगा।

सरकारी दफ्तरों में हाजिरी के लिए बायोमीट्रिक की जगह अब जीपीएस घड़ी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सात साल राज करने के बाद सीएम खट्टर को अपने उन कर्मचारियों की हरामखोरी नजर आने लगी है जो काम पर आए बिना या देरी से आने के बावजूद अपना पूरा वेतन वसूलते रहते हैं। जाहिर है इसके चलते नागरिकों को उन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता जिन सेवाओं के लिए सरकार इनको वेतन देती रहती है। इसके लिए सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व बायोमीट्रिक प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली में कर्मचारी को मशीन पर अंगूठा लगाना होता है, लेकिन हरामखोरी करने पर तुले लोगों ने इसके भी तोड़ निकाल लिए तो अब खट्टर महोदय ऐसी स्मार्ट घड़ी कर्मचारियों की कलाई पर बाँधेंगे जिससे उनकी वास्तविक लोकेशन पता लग सकेगी। यह घड़ी भी कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसका तोड़ न निकाला जा सके। इसका तोड़ निकलने के बाद खट्टर जी क्या करेंगे? यह एक अहम सवाल है।

विदित हो कि बायोमीट्रिक प्रणाली पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, जो पानी हो गया। अब स्मार्ट घड़ियों पर करोड़ों रुपया फिर खर्च होगा जिसका पानी में जाना तय है। सुधी पाठकों ने गतांक में पढ़ा था कि किस तरह सेहतपुर के हाई स्कूल में एक अध्यापिका पूरे 3 साल स्कूल नहीं आई और वेतन का चेक हर माह उसके घर पहुंचता रहा। इस तरह अन्य अनेक शिक्षक भी लगातार कई-कई दिन अथवा महीनों स्कूल के दर्शन किये बिना वेतन डकारते रहे। शिक्षा विभाग कोई इकलौता महकमा नहीं है जहां इस तरह की हरामखोरी पनपी हुई है बल्कि शायद ही कोई सरकारी महकमा इस बीमारी से अछूता बचा हो। इसमे वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें वेतन तो सरकारी काम करने का मिलता है पर उन्हें लगा दिया जाता है अफसरों एवं राजनेताओं की बेगार करने पर। इसमें पुलिस, नगर निगम, 'हुड्डा', लोकनिर्माण विभाग इत्यादि प्रमुख हैं। यहाँ क्या तो बायोमीट्रिक प्रणाली करेगी और क्या स्मार्ट घड़ियाँ?

इस देश ने वह वक्त भी देखा जब न तो बायोमीट्रिक प्रणाली थी और न स्मार्ट घड़ियाँ बल्कि ये नाम तो सुने भी नहीं थे, लेकिन किसी कर्मचारी एवं अधिकारी की क्या मजाल जो कभी एक मिनट भी लेट हो जाए। प्रशासनिक अनुशासन इतना कड़ा होता था कि कोई उसकी उल्लंघना करने की सोच भी नहीं सकता था। इसके पीछे हरामखोरी एवं गैरहाजिरी पकड़े जाने पर मिलने वाली वह कड़ी सजा होती थी जिसके खौफ से कोई अनुशासन तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके विपरीत आज किसी को कतई कोई खौफ नहीं। वह चाहे कितने भी दिन, महीनों, वर्षों तक काम पर आए बिना वेतन लेता रहे, कोई उसे पूछने वाला नहीं। खट्टर जी खुद बता दें कि उन्होंने गैरहाजिर रहने वाले कितने कर्मचारियों या अधिकारियों को सजा दी? ध्यान रहे कि कोई भी छोटा कर्मचारी तभी हरामखोरी कर सकता है जब उसे अपने उच्चाधिकारी का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसे ही संरक्षण के चलते लोग अपने बच्चों की वर्षों तक कोचिंग कराने कोटा तक रह आते हैं बल्कि दुबई तक घूम आते हैं। समझा जा सकता है कि इन सबके पीछे प्रशासनिक कमजोरी है। इसका हल न बायोमीट्रिक हो सकता है न स्मार्ट घड़ियाँ। इसका एकमात्र हल कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था ही हो सकती है जो इस सरकार के बस की बात नहीं। वरना अनुशासन तोड़ने और गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को तो रगड़ लगे ही साथ ही उनके ऊपर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुक किया जाना चाहिए जिनकी शह पर वह हरामखोरी करता है। यदि खट्टर जी इतना कर पाएं तो न तो बायोमीट्रिक की जरूरत होगी न ही स्मार्ट घड़ियों की।

जस्टिस रविंद्रन कमेटी करेगी पेगासस विवाद की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत सरकार के लिए ग्रीन पास नहीं

जेपी सिंह

उच्चतम न्यायालय आखिर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के व्यामोह से बाहर निकल आया और खुली अदालत में कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को लागू करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बन सकती है। इसके पहले पिछले सात साल से उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मूकदर्शक बनता रहा था और इस दौरान अदालत में आये तमाम मुद्दों की संवैधानिकता ,कानून के प्रश्नों और घोटालों को दाखिल दफ्तर करता रहा है जिसमें कश्मीर से लेकर, राफेल घोटाले के मामले शामिल हैं। लेकिन पेगासस मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए पेगासस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर वी रवींद्रन की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दिया है।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था । निजता के उल्लंघन की जांच होनी चहिए। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया । निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए नहीं, बल्कि ये आम लोगों का भी अधिकार है ।

फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि जब संवैधानिक विचार मौजूद हों, जैसे कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित, तो भारत संघ जानकारी देने से इंकार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे हर बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का भूत होने पर एक मुफ्त पास मिल जाता है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खंड को लागू करने पर पीठ ने कहा कि हालांकि यह चौकस होना चाहिए, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को लागू करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बन जाती है।

अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि जब संवैधानिक विचार मौजूद हों, जैसे कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित, तो भारत संघ जानकारी देने से इंकार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे हर बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का भूत होने पर एक मुफ्त पास मिल जाता है।

पीठ ने गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, वहीं इसका उपयोग गोपनीयता पर आक्रमण करने के लिए भी किया जा सकता है। इसने कहा कि जब गोपनीयता की बात आती है तो कुछ सीमाएँ मौजूद होती हैं, लेकिन प्रतिबंधों को संवैधानिक रूप से पारित करना होता है।

पीठ ने कहा कि याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है ? प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, पत्रकारों के सूत्रों की सुरक्षा भी जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस मामले में कई रिपोर्ट थीं। पीठ ने कहा है कि हर किसी की प्राइवेसी की रक्षा होनी चाहिए।

पीठ ने इस कमेटी से कहा है कि पेगासस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच कर रिपोर्ट सौंपे। अब 8 हफ्ते बाद फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी। पेगासस मामले की जांच कमेटी में पूर्व ढ्ढक्क्अफसर आलोक जोशी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सब-कमेटी के चेयरमैन डॉ. संदीप ओबेरॉय भी शामिल किए गए हैं। इनके साथ ही तीन टेक्निकल सदस्य भी शामिल हैं। इनमें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिंक के प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार चौधरी, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ. प्रभाकरन पी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अश्विन अनिल गुमस्ते के नाम हैं।

निर्णय में बताया गया है कि पेगासस जासूसी के आरोपों कि जाँच के लिए जिन कारकों ने उच्चतम न्यायालय को 7 तकनीकी समिति के गठन करने के लिए प्रेरित किया उनमें निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पर पड़ रहे प्रभाव, बड़े पैमाने पर नागरिकों पर पड़ रहे संभावित दुष्प्रभाव, इन आरोपों की जांच और कारवाई के प्रति भारत सरकार द्वारा कोई स्पष्ट रुख नहीं लिए जाने,विदेशों द्वारा लगाए गए आरोपों और विदेशी पार्टियों की संलिप्तता को गंभीरता , इस देश के नागरिकों को निगरानी में रखने में कोई विदेशी प्राधिकरण, एजेंसी या निजी संस्था के शामिल होने कि गंभीरता,नागरिकों को अधिकारों से वंचित करने का केंद्र या राज्य सरकारों पर आरोप तथा रिट क्षेत्राधिकार के तहत तथ्यात्मक पहलुओं को जांचने की सीमा का पहलू शामिल है।उदाहरण के लिए, यहां तक कि नागरिकों पर प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रश्न, जो कि अधिकार क्षेत्र का तथ्य है, विवादित है और इसके लिए और अधिक तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता है।

बता दें पेगासस मामले में कई पत्रकारों और एक्टिविस्ट ने अर्जियां दायर की थीं। इनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाई जाए। पेटिशनर्स ने ये भी कहा था कि मिलिट्री ग्रेड के स्पाइवेयर से जासूसी करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पत्रकारों, डॉक्टर्स, वकील, एक्टिविस्ट, मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं के फोन हैक करना बोलने की आजादी के अधिकार से समझौता करना है।

खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय ग्रुप का दावा है कि इजराइली कंपनी ह्स्ह्र के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में 50 हजार लोगों की जासूसी हुई। भारत में भी 300 नाम सामने आए हैं, जिनके फोन की निगरानी की गई। इनमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी, अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट शामिल हैं।

साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के मुताबिक, किसी डिवाइस में पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका ये है कि टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जाती है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, पेगासस अपने आप फोन में इंस्टॉल हो जाता है।

2019 में जब व्हाट्सऐप के जरिए डिवाइसेस में पेगासस इंस्टॉल किया गया था तब हैकर्स ने अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक कमी (बग) का फायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट के जरिए टारगेट फोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फोन में इंस्टॉल कर दिया गया था।

पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार के साथ-साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका भी याचिका शामिल है। इन याचिकाओं में कथित पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ने खबर दी थी कि करीब 300 प्रमाणित भारतीय फोन नंबर हैं, जो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये जासूसी के संभावित निशाना थे।

पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया या नहीं? मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि निजता के हर आक्रमण को तार्किकता और संवैधानिक आवश्यकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वैधानिक कानून के बिना इस तरह के आक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने पिछली सुनवाईयों के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

पीठ ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊंचा है। उनमें संतुलन भी जरूरी है। तकनीक पर आपत्ति सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। पीठ ने कहा प्रेस की आजादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उनको सूचना मिलने के स्रोत खुले होने चाहिए।उन पर कोई रोक ना हो। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि न्यूज पेपर पर आधारित रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई याचिकाओं से हम संतुष्ट नहीं थे।

पीठ ने पेगासस के मामले में कमेटी का गठन किया है , जिसमें जस्टिस आरवी रविंद्रन , पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज आलोक जोशी , पूर्व आईपीएस संदीप ओबेराय इसके अलावा तीन तकनीकी सदस्य भी शामिल हैं। तकनीकी समिति में तीन सदस्य होंगे. 1- डॉ नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर (साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक) और डीन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात. 2- डॉ प्रबहारन पी. प्रोफेसर (इंजीनियरिंग स्कूल), अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृतापुरी, केरल. 3. डॉ अश्विन अनिल गुमस्ते, एसोसिएट प्रोफेसर (कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र।

शराब धंधेबाजों से परेशान आदर्श कॉलोनी वासी

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर भर में शराब बिक्री के अवैध केन्द्रों से यूं तो हर मुहल्ले के लोग परेशान रहते हैं, लेकिन थाना एसजीएम नगर की आदर्श कॉलोनी के निवासी आज कल बेहद परेशान चल रहे हैं। परेशानी के साथ-साथ वे लोग इतने खौफ़ज़दा हैं कि अवैध शराब ब्रिक्रेता के विरुद्ध कुछ कह पाने की हिम्मत भी नहीं रखते। इस संवाददाता द्वारा सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बाद, नाम न छापे जाने की शर्त पर उसने वहां के एक निवासी ने इस धंधेबाज़ का नाम रौनी बताया।

रौनी ने यह धंधा करीब एक साल पहले शुरू किया है। मोटी अवैध कमाई के इस धंधे की प्रेरणा उसे इसी कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से चल रहे दो अन्य ऐसे ही धंधेबाज़ों से मिली थी। उन दोनों धंधेबाज़ों का नाम तक लेने से स्थानीय निवासी घबराते हैं। पूछने पर केवल इतना ही बता पाते हैं कि एक तो गूजर का है और दूसरा किसी सैनी का है। जब स्थानीय निवासी पियक्कड़ों की अत्यधिक बेहूदा एवं अश्लील हरकतों से दुखी हो जाते हैं और नौबत मार-पीट तक आ जाती है तो थाने से एक दो सिपाही मौके पर पहुंच कर डंडा फ़टकार जाते हैं। उसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है।

इस मसले को लेकर मज़दूर मोर्चा संवाददाता ने जब एसएचओ एसजीएम नगर से बात की तो उन्होंने शराब बिक्री के उक्त अवैध अड्डों की जानकारी होने से इन्कार किया।

जब उनसे कहा गया कि एसएचओ होते हुए भी आपको इन धंधों की जानकारी कैसे नहीं है जबकि यदा-कदा आपके थाने से डंडा फटकारने को सिपाही वहां जाते रहते हैं। ध्यान रहे कि एसएचओं की मर्जी के बगैर इलाके में कोई भी अपराधी पंख नही फ़ड़फड़ा सकता।

इस पर एसएचओ ने कहा कि वे तो अभी-अभी कुछ दिन पहले ही यहां तैनात हुए हैं जानकारी देने के लिये मज़दूर मोर्चा को धन्यवाद देते हुए उन्होंने इस मामले में तुरन्त कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।